बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८००००१

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O), 286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू॰ एन॰ सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी॰ एल॰ दास)

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

Truth Will Triumph

पत्र संख्या 24

पटना
दिनांक 17.4.2001

सेवा में,

सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- वरीय प्रवर कोटि(अवर समाहर्त्ता) में प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में श्री तारा रजक, जो 26वीं बैच के उपसमाहर्त्ता हैं, ने अपने अवर जिला दंडाधिकारी कोटि में प्रोन्नति से संबंधित एक आवेदन दिया है । विभागीय ~~ब~~ प्रोन्नति संबंधी बैठक प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक-19-4-01 को प्रस्तावित है ।

वैसे रजक ने अपने पत्र में यह उल्लेख किया है कि वर्ष, 1995 में अनुमंडला--धिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर रहते एम०आई०टी० के छात्रों द्वारा विधि व्यवस्था को भंग किये जाने के कारण लाठी चार्ज की घटना तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक, मुजफ्फर-पुर एवं डी०एस०पी०, मुख्यालय की उपस्थिति में घटी थी ।

सरकार ने उक्त घटना की न्यायिक जाँच माननीय न्यायाधीश श्री सरवर अली की अध्यक्षता में करायी, जिन्होंने 28-02-2001 को अपने प्रतिवेदन गृह सचिव को सौंप दिया है । इस जाँच प्रतिवेदन में उन्हें सूचना मिली है कि घटना के समय उपस्थित सभी पदाधिकारियों को पूर्णतः दोषमुक्त पाया गया है ।

श्री रजक को भी शंका है कि कार्मिक विभाग को उक्त स्थिति की जानकारी नहीं होने के कारण हो सकता है कि उक्त आधार पर उनकी प्रोन्नति बाधित हो जाए ।

...........पृ0/2

पृ0 पृ0 उ0---2-

प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–८०० ००१

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O), 286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू॰ एन॰ सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी॰ एल॰ दास)

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

TWT
Truth Will Triumph

पत्र संख्या........................

पटना
दिनांक...............................

वैसे तो जाँच आयोग का रिपोर्ट गृह विभाग को प्राप्त है ही, फिर भी प्रोन्नति के संबंध में उन्होंने तत्कालीन मुख्य सचिव के पत्र संख्या–51/एम0–102/9 3053 बिहार सरकार मंत्रिमंडल (निगरानी विभाग) की प्रति संलग्न की है, जिसके अंश "क" का कृपया अवलोकन कर उसके मार्गदर्शन के अनुसार प्रोन्नति संबंधी आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है ।

कृपया यदि विभागीय स्तर पर श्री रजक के विरूद्ध उक्त न्यायिक जाँच के संदर्भ में कोई प्रतिकूल टिप्पणी हो, तो इनके आवेदन को मान्य होने पर विभागीय प्रोन्नति समिति में रखने पर विचार किया जा सकता है । जाँच आयोग का संबंधित भाग के प्रतिवेदन की छाया प्रति भी संलग्न की जाती है।

अनु0:– आवेदन–पत्र संलग्न ।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(गंगाधर लाल दास)
महासचिव,

ज्ञाप संख्या– 25 पटना, दिनांक– 17 अप्रिल, 2001 ई0 ।

प्रतिलिपि–अपर सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

[signature] 17-4-2001

(गंगाधर लाल दास)
महासचिव ।